उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
28 फरवरी, 2011 **प्रणब मुखर्जी**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 फरवरी, 2011 के पत्र सं० 2(10)-बी०(डी०)/2011 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2011 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करती हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करती हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2011 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।